न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/363

हरिओम आत्मज हर गोविन्द जी जाति मीणा निवीास ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कराडिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के कब्जे व खाते की आराजी खसरा नम्बर 476 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि स्थित है । वादी के पिता का नाम हर गोविन्द है तथा दादा का नाम बजरंग लाल है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम हरगोविन्द के स्थान पर सहवन से बजरंगलाल दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि वादी के पिता के नाम से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड व आधार कार्य व स्कूल अंक तालिका में भी वादी के पिता का नाम हरगोविन्द अंकित है । वादी राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत नाम के इन्द्राज को दुरूस्त कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम

बजरंग लाल के स्थान पर हरगोविन्द दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने कई दस्तावेज पेश किये हैं जिसमें राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी, नामान्तरकरण की नकलें हैं जिसमें वादी के पिता का नाम बजरंगलाल दर्ज है तथा कुछ दस्तावेजात वादी से सम्बन्धित हैं जिसमें वादी के पिता का नाम हर गोविन्द दर्ज है । बजरंगलाल, हरगोविन्द के पिता का नाम है । वादी के दादा का नाम बजरंगलाल है । राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपीलान्ट के पिता का नाम सहवन से बजरंग लाल गलत दर्ज हो रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सही तस्दीक होना मान कर उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना मानकर किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होना मानते हुए दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हरिओम ने पेश किया था और यह ग्राम कराडिया तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 476 की 0.91 हैकटर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज चली आ रही है । वादी का नाम हरिओम व पिता का नाम हरगोविन्द है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सहवन से बजरंग लाल दर्ज कर दिया है जबकि वादी के सारे दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम हरगोविन्द दर्ज है । इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम बजरंगलाल के स्थान पर हरगोविन्द दर्ज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया । वादी के पिता का नाम सहवन से बजरंग लाल गलत दर्ज हो रहा है इसे वादी द्वारा प्रमाणित कर दिया था इसके बावजूद भी दावा वादी खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2017 (2) पेज 681 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण में दर्ज पिता के नाम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया है जो विधि सम्मत है । दावा वादी त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में पटवारी हल्का सीमल्या की रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह अंकित है कि विक्रय पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम गोविन्दा दर्ज है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हरिगोविन्द दर्ज है । मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों से हरिओम के पिता के नाम की जानकारी करने पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हरगोविन्द बताया गया । इसके अलावा पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 85 नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 20.05.2001 खसरा नम्बर मिन 476 रकबा 0.91 हैक्टर जरिये बेचान हरिओम पुत्र बजरंगा मीना के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 159 में खसरा नम्बर 476 की रकबा 0.91 हैक्टर आराजी हरिओम पुत्र बजरंग लाल के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 229 में वादग्रस्त आराजी हरिओम पुत्र बजरंगलाल के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 179 में वादग्रस्त आराजी हरिओम पुत्र बजरंगलाल के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 206 में वादग्रसत आराजी हरिओम पुत्र बजरंगलाल के नाम खाते में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी भी संलग्न की गई है ।

10. नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 नया खाता संख्या 31 में कुल 07 किता की 11.64 हैक्टर आराजी चिन्तामणी पुत्री नारायण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार नया खाता संख्या 144 में खसरा नम्बर 451 की रकबा 1.75 हैक्टर भूमि रामकन्या पुत्री भीमा जी, हरिओम नाबा0 पुत्र गोविन्दा नाबा0 की वली रामकन्या के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 नया खाता संख्या 130 के अनुसार खसरा नम्बर 451 रकबा 1.76 हैक्टर आराजी रामकन्या पुत्री भीमाजी, हरिओम नाबा0 पुत्र गोविन्दा नाबा0 की वली रामकन्या के खाते में दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 624 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार रामकन्या की मृत्यु हो जाने पर खसरा नम्बर 451 की आराजी के लिए नामान्तरकरण दर्ज किया गया है । एक विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न जो कि मोडूलाल के द्वारा निष्पादित किया गया है । यह विक्रय पत्र हरिओम वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया है । एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न की गई है जो चिन्तामणी के द्वारा हरिओम पुत्र गोविन्दा के पक्ष में निष्पादित किया गया है । पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 176 की प्रमाणित प्रति पेश की है विक्रय के आधार पर हरिओम पुत्र बजरंगा के पक्ष में तस्दीक किया गया है । माध्यमिक विद्यालय की अंक तालिका की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार हरिओम के पिता का नाम हरगोविन्द मीणा अंकित किया गया है ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया गया है कि उनके पिता का नाम त्रुटिपूर्ण है बजरंग अंकित किया गया है जबकि उनके पिता का नाम हरिगोविन्द है । पत्रावली पर जो नामान्तरकरण की प्रति पेश की गई है उसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 476 की 0.91 हैक्टर के लिए हरिओम के पक्ष में विक्रय पुत्र के आधार जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उसमें उनके पिता का नाम बजरंगा अंकित किया गया है । वादी अपीलान्ट के द्वारा असल विक्रय पत्र संलग्न नहीं किया गया है । पत्रावली पर जो विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है उसके हरिओम के पिता का नाम स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है ।

12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी अपीलान्ट यह कथन करते हैं कि विक्रय पत्र में उनके पिता का नाम गोविन्दा अंकित है जबकि दावे के अनुसार वो अपने पिता का नाम हरगोविन्द दर्ज करवाना चाहते हैं । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी वादी अपीलान्ट के पिता का नाम हरगोविन्द है । आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हरगोविन्द और स्कूल की अंकतालिका में भी उनका नाम हरगोविन्द है । यदि वादी अपीलान्ट के इस कथन को सही मान लिया जावे कि विक्रय पत्र में उनके पिता का नाम गोविन्दा था तो गोविन्दा के स्थान पर वादी के पिता का नाम हरगोविन्द दर्ज करने का राजस्व न्याालय को अधिकार नहीं है । वादी अपीलान्ट दावे के अनुसार अपने पिता का नाम बजरंगा के स्थान पर हरगोविन्द दर्ज करवाना चाहते हैं । यदि विक्रय पत्र में उनका नाम हरगोविन्द अंकित नहीं है तो राजस्व न्यायालय के द्वारा हक घोषणा के दावे में उनके पिता का नाम हरगोविन्द अंकित नहीं किया जा सकता । वादी अपीलान्ट सक्षम सिविल न्यायालय से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/363

हरिओम आत्मज हर गोविन्द जी जाति मीणा निवीस ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 23/दावा/2019

हरिओम आत्मज हर गोविन्द जी जाति मीणा निवीस ग्राम सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.11.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29.11.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा